भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2259

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतें

†2259. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा और अन्य धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों सहित तंबाकू के सेवन से होने वाली वार्षिक मौतों की संख्या की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में तंबाकू से संबंधित मौतों और बीमारियों के संबंध में सरकार या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्रित आंकड़ों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसी मौतों को रोकने और तंबाकू की लत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इन हानिकारक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार पूरे देश में जागरूकता अभियान तेज करने और तंबाकू नशामुक्ति सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस-2) 2016-17 के दूसरे दौर की रिपोर्ट, के अनुसार, धूम्ररहित तंबाकू सहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों का अनुमान 13 लाख से अधिक है।

(ग) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डब्ल्यू) ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तंबाकू की लत को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। मंत्रालय द्वारा लागू किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- तंबाकू उत्पादों को विनियमित करने और तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए 2003) नामक एक व्यापक कानून अधिनियमित किया गया

है। सीओटीपीए, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, नाबालिगों को और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध और सभी तंबाकू उत्पादों के पैक आदि पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का अनिवार्य प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) वर्ष 2007 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना, नियमित और निरंतर जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और सीओटीपीए 2003 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीओटीपीए 2003 के प्रवर्तन के लिए अभियान चलाते हैं। मंत्रालय ने "तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए दिशानिर्देश (संशोधित)" भी जारी किए हैं।

- सरकार ने "इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019" के तहत हीट-नॉट बर्न उत्पाद सहित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक वार्षिक 60-दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है।

*****